

5  
12-2-13

27  
13/2/13

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

कमांक एफ.15(79)पंरावि/विधि/प्रशासना के संग अभि./2013/ 122 जयपुर, दिनांक-

5/2/2013


जिला कलक्टर,  
पाली ।

विषय:- प्रशासन गांवों के संग अभियान में भूमि विक्रय (पट्टे जारी) करने बाबत ग्राम पंचायतों को आ रही समस्या बाबत उचित मार्गदर्शन दिलाने के क्रम में ।  
संदर्भ:- आपका पत्र कमांक 18 दिनांक 11.1.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपने संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रशासन गांवों के संग अभियान में भूमि विक्रय(पट्टा जारी) करने के संबंध में आ रही समस्याओं के संबंध में मार्ग दर्शन चाहा है । अतः आप द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में विभागीय टिप्पणी निम्नानुसार प्रेषित है:-

क. स.	पट्टा जारी करने में आ रही समस्या	विभागीय टिप्पणी
1.	ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि में सरपंच द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर पुरतैनी कब्जा सुद्धा प्लोटो का बेचान कर रजिस्ट्री करवा दी । अब खरीददारों के पास उनका कब्जा है जो रजिस्ट्री की फोटो प्रति प्रस्तुत कर पट्टा बनवाने की मांग कर रहे है । इसी भांति कई मामलों में उपजीकृत दस्तावेजों से यथा लिखत, ईकरारनामों से बेचान हुये है । इन मामलों में प्रार्थी को पट्टा दिया जाना है अथवा नहीं ? इस विषय में राजस्थान पंचायत एक्ट में कही भी उल्लेख नहीं है ।	राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में इस संबंध में पर्याप्त प्रावधान है । नियमों वर्णित प्रावधानों के अनुसार कब्जेधारी व्यक्ति के स्वामित्व की अवधि को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार राशि वसूल कर पट्टा जारी किया जा सकता है ।
2.	ग्राम पंचायत के आबादी भूमि क्षेत्र में स्थित पुरतैनी भूमि में जो दुकाने, छोटे मोटे कुटीर उद्योग के काम आ रही है, भूमियों के पट्टे संबंधित गृह स्वामियों के पास नहीं है । प्रार्थी उक्त व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जा रही भूमि के पट्टों की मांग कर रहे है यद्यपि पंचायत एक्ट में कही भी इसका उल्लेख नहीं है ।	इस संबंध में पंचायती राज नियम में वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । अतः ऐसा पट्टा दिया जाना संभव नहीं है ।

  
उप शासन सचिव(विधि)